File No: WQ-11021/7/2016-WQ-Part(1)
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
(Water Quality Section)

4th Floor, Pt. Deendayal
'Antyodaya Bhawan',
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003.

Dated, the 11th July, 2017.

To

Principal Secretary/Secretary-in-charge of Rural Drinking Water Supply in the states of:

Andhra Pradesh / Assam / Bihar / Chhattisgarh / Haryana / Jharkhand / Karnataka / Kerala / Madhya Pradesh / Maharashtra / Odisha / Punjab / Rajasthan / Telangana / Uttar Pradesh / West Bengal

Subject: National Water Quality Sub-Mission Revised Guidelines.

Sir,

I am directed to forward herewith the revised guidelines of National Water Quality Sub-Mission. As per the revised guidelines the State Government can take up ground water source based schemes under National Water Quality Sub-Mission.

This issues with the approval of competent authority.

Encl: as above

(K. Narayana Reddy)
Under Secretary (WQ)
Tel No: 011-24368562

Copy to:

1. PS to Hon'ble Minister, MoDWS
2. PS to Hon'ble Minister of State, MoDWS
3. Senior PPS to Secretary
4. PS to JS (W) / Director (W)
5. DIR(NIC) for uploading a copy onto website

मिशन मोड पर ग्रामीण भारत में शेष आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन दिशा-निर्देश

क. प्रस्तावना :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के साथ भारत के लगभग 76 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों ने पूर्ण रूप से कवर (एफसी) स्थिति प्राप्त कर ली है परंतु यह कवरेज मुख्यत: हैंडपंपों के माध्यम से की गई है और यह स्थायी तथा उत्तम गुणवत्ता सेवा तंत्र नहींहै। लगभग 70,000 बसावटें जल गुणवत्ता की समस्यासे ग्रस्त हैं और 170 मिलियन से अधिक ग्रामीण बसावटों में से केवल 54 प्रतिशत के पास नल जल उपलब्ध है। प्रमुख फिजियो-रासायनिक संदूषणों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता तथा नाइट्रेट शामिल हैं जिनमें से आर्सेनिक और फ्लोराइड अति क्रिटिकल हैं क्योंकि ये अन्यों की तुलना में तत्काल स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करते हैं। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों की राज्य-वार सूची निम्नलिखित है :-

तालिका 1 : दिनांक 18 अगस्त, 2016 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के आईएमआईएस के अनुसार फ्लोराइड तथा आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित राज्य।

क्र. सं.	राज्य का नाम	आर्सेनिक (>0.01 एमजी/एल)		फ्लोराइड (>1.5 एमजी/एल)	
		बसावटें	आबादी	बसावटें	आबादी
1	आंध्र प्रदेश	-	-	419	2,92,899
2	असम	3,226	12,94,077	147	67,272
3	बिहार	1,049	16,61,190	994	12,50,976
4	छत्तीसगढ़	-	-	72	25,656
5	हरियाणा	45	1,42,944	196	4,96,238
6	झारखंड	128	1,20,443	980	5,06,801
7	कर्नाटक	15	33,755	951	5,20,493
8	केरल	-	-	35	84,320
9	मध्यप्रदेश	-	-	87	39,814
10	महाराष्ट्र	-	-	51	1,27,730
11	ओडिशा	-	-	62	21,609
12	पंजाब	492	5,96,632	285	3,39,117
13	राजस्थान	-	-	5,432	36,74,810
14	तेलंगाना	-	-	972	13,32,480
15	उत्तरप्रदेश	225	2,91,212	162	2,78,738

16	पश्चिमबंगाल	6,765	93,40,063	860	5,40,961
कुल		**11,945**	**134,80,316**	**11,705**	**95,99,914**

*** तथापि, आवश्यक समझे जाने पर ऊपर दर्शायी गई बसावटों की संख्या सत्यापन के अध्यधीन है।**

आर्सेनिक एक कैंसरकारक तत्व है और जो त्वचा, फेफड़ों, पित्त की थैली, गुर्दे और लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है। चर्म रोग संबंधी, विकास संबंधी, तंत्रिका संबंधी, श्वास-प्रश्वास संबंधी, हृदवाहिनी, प्रतिरक्षा संबंधी तथा अंत: स्रावी संबंधी प्रभाव भी सामने आए हैं।

फ्लोरोसिस, एक जन स्वास्थ्य समस्या है जो लंबी अवधि तक पेयजल/खाद्य पदार्थों/औद्योगिक प्रदूषकों के जरिएअत्यधिक फ्लोराइड का सेवन करने से भी हो सकती है। इससे बुढ़ापे के अलावा गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होती है जैसे दंत्य फ्लोरोसिस,कंकालीय फ्लोरोसिस और गैर-कंकालीय फ्लोरोसिस।

चूँकि ये हानिकारक प्रभाव स्थायी तथा स्थिर प्रकृति के होते हैं, इसीलिए व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं परिणामस्वरूप देश की वृद्धि, विकास, अर्थ-व्यवस्था तथा मानव संसाधन विकास प्रभावित होता है।

सुदूर कवरेंज के मुद्दे को हल करने के लिए तथा सभी बसावटों से आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या को दूर करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने आर्सेनिक तथा फ्लोराइड पर फोकस करते हुए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2020 तक जल गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति भारत को एक कदम आगे बढ़ाना है।

ख. पेयजल गुणवत्ता मानकों की परिभाषा :

भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल के लिए अपने आईएस-10500-2012 मानकों में विनिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, ये मानक केवल स्वैच्छिक प्रवृत्ति के हैं और प्रवर्तन के लिए विधिक रूप से समर्थित नहीं हैं। इन मानकों की दो सीमाएं हैं :

- वांछनीय सीमाएं
- अधिकतम अनुमत अथवा अस्वीकृति सीमा के कारण।

यदि कोई पैरामीटर, अस्वीकृति सीमा के कारण से अधिक हो जाता है तो जल को संदूषित समझा जा सकता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जल संदूषित तभी हो सकता है यदि वह जैविक रूप से संदूषित हो (सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल, प्राणिप्लवक, फ्लैजिलेट्स, ई-कोली आदि की उपस्थिति)अथवा रासायनिक संदूषण अनुमत सीमाओं से अधिक हो (जैसे अत्यधिक

फ्लोराइड [>1.5 मी.ग्राम/लीटर], लवणता अर्थात् कुल विघटित ठोस पदार्थ (टीडीएस) [>2,000 मी.ग्राम/लीटर], विघटित लौह [>0.3 मी.ग्राम/लीटर], आर्सेनिक [>0.01 मी.ग्राम/लीटर], नाइट्रेट [>45 मी.ग्राम/लीटर] आदि)

ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत से अधिक पेयजल के स्रोत भू-जल आधारित हैं और अल्प-अवधि में भूजल में रासायनिक तत्व अधिक नहीं बदलते हैं अत: वर्ष में एक बार रासायनिक संदूषणका परीक्षण पर्याप्त है। प्रत्येक मौसम में एक बार अर्थात् वर्ष में 4 बार जैविक संदूषणों का परीक्षण अनुशंसित है। तथापि, प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अर्थात् मॉनसून पूर्व तथा मॉनसून पश्चात मौसम में इसे करना चाहिए।

ग. पेयजल गुणवत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्तमान वित्तपोषण :

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता समस्याओं को हल करने के लिए और जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज के लिए राज्यों को आबंटित निधियों का 67 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जापानी एनसेफेलाइटिस/ऊग्र एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एई) प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलोंऔर रसायन संदूषण के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियोंका 5 प्रतिशत भी चिन्हित तथा आबंटित है। इसके अतिरिक्त, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी हेतु भारत सरकार, राज्यों को 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियाँ भी उपलब्ध कराती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला/उप जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं का नए ढंग से उन्नयन करने संबंधी स्थापना कार्य, प्रयोगशालाओं में रसायन तथा उपभोज्य सामग्री उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों को क्षेत्र जांच किट/रिफिल उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 10 प्रतिशत तक भू-जल के कृत्रिम पुनर्भंडारण अथवा अन्य तरीकों से पेयजल स्रोतों के स्थायित्व के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक्वीफायर में संदूषण के स्तर को पानी मिलाकर कम करना शामिल है।

घ. पेयजल संदूषण को हल करने के लिए अब तक उठाए गए कदम/अल्प-कालिक उपाय

1. मंत्रालय ने निधियों की उपलब्धता की स्थिति में, दीर्घ-कालीन स्थायी उपाय के रूप में वर्ष 2022 तक सतही जल आधारित नल जलापूर्ति सकीमों को प्राथमिकता देते हुए देश की 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यनीति योजना बनाई है।

2. मंत्रालय ने सभी राज्यों को प्रोत्साहन दिया है कि वे दीर्घ-कालीन उपाय के रूप में सभी जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमें संस्थापित करें।

3. सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे मार्च, 2017 तक सूचित आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करें क्योंकि यह नल जलापूर्ति स्कीमों की संस्थापना की तुलना में जल्दी संभव है। मात्र पीने तथा खाना पकाने के लिए 8-10 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए यह अल्पकालिक तत्कालीन उपाय के रूप में किया जा रहा है।

4. चूँकि वर्ष 2015-16 के दौरान मंत्रालय का आबंटन घट गया था, अतः नीति आयोग ने इस कार्य हेतु एक बार की केंद्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में जो पेयजल में फ्लोराइड तथा आर्सेनिक संदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं, में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेतु नल जलापूर्ति स्कीमों के लिए निधियां शामिल हैं।

ड. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन क्यों हो ?

प्रस्तावित कार्यक्रम राष्ट्रीय जल गुंणवत्ता उप-मिशन के लिए वारंटी देता है जिसेमार्च, 2020से पूर्व मिशन मोड में पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि :

1.मामला महत्वपूर्ण और तात्कालिक है।

2.प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता ।

3.इनके लिए अतिरिक्त निधियों, इनकी मजबूत मॉनीटरिंग तथा निगरानी की आवश्यकता।

4.लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष तकनीक, जन-शक्ति तथा कार्यनीति की आवश्यकता।

च. लक्ष्य :

सभी आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सुरक्षित तथा पीने योग्य जल उपलब्ध कराना।

(क) जल गुणवत्ता उप-मिशन में तीन चरण होंगे नामत:

1.लाक्षणिक चरण-अद्यतन और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर कार्य योजना का सही रूप से निर्धारण करना।

2.कार्यान्वयन चरण-दिशा-निर्देशों के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों को चलाना।

3.स्थायी चरण-पर्याप्त मॉनीटरिंग तथा निगरानी सहित यह सुनिश्चित करना कि स्कीमें सफलतापूर्वक चल रही हों।

(ख) तीन प्रकार की स्कीमें जो सुरक्षित तथा पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य शुरू कर सकते हैः

1. सतही जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीम
2. सुरक्षित भू-जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीम और
3. शुद्धीकरण तकनीक सहित भू-जल आधारित स्कीम/सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी)

(ग) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के तहत न्यूनतम सेवा देना अवश्य सुनिश्चित किया जाएः

1. सतही जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीमः 40 एलपीसीडी
2. सुरक्षित भू-जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीमः 40 एलपीसीडी तथा
3. शुद्धीकरण तकनीक सहित भू-जल आधारित स्कीम/सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी): 8-10 एलपीसीडी

छ. परियोजना को चलाने के कदम:

1. सभी राज्य द्वारा अधिकतम दो पृष्ठों वाला एक एक्शन प्लान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को **15 जुलाई, 2017** तक भेजा जाएगा। इस एक्शन प्लान में लगभग 28000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में स्पष्ट समय-सीमा, प्रस्तावित स्कीमों और तदनुरूप ग्राम कवरेज, स्कीमवार निधियन आवश्यकताओं, निधियन के संभावित स्रोतों और अगले चार वर्षों में पूरा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख होगा।

2.**बसावटों की पहचान करना:**परियोजना के तहत मंत्रालय की आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना (18 अगस्त 2016- आईएमआईएस फार्मेट एफ- 18 को स्थिर किए गए आंकडे) के अनुसार आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की पहचान की जाएगी। इन बसावटों को भविष्य के सभी उपयोगों के लिए जीयो टैग्ड किया जाएगा। वास्तविक मॉनीटरिंग के लिए जीयो-टैग्ड स्थल, 'मोबाइल एप्लिकेशन',एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सुलभ होंगे।

प्राथमिकताएं निम्नलिखित हो सकती हैं :-

(क) बसावटें, जो केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य मौजूदा/ चालू दीर्घकालीनकार्यक्रम में कवर न हों।

(ख) बसावटें, जिनमें आईएमआईएस आंकड़ों के अनुसार संदूषण कीउच्च डिग्री हो।

3. **स्रोत की पहचान** : राज्य को निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर स्रोत की पहचान, जीयो-टैग और चयन करना है।

(क) स्रोत/ एक्वीफर मूल रूप से स्थायी होने चाहिए।

(ख) स्रोत (स्रोत/उप सतह) आर्थिक रूप से सर्वाधिक व्यवहार्य (न्यूनतम जीवन चक्र लागत) विकल्प होना चाहिए जिसमें स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की असीम क्षमता हो।

4. **स्रोत की गुणवत्ता जांचः** राज्यों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और व्यापक रूप से वितरित समरूप पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल का पालन करना होता है।

5. **स्कीमों की तैयारी / कार्यान्वयन की प्रक्रियाः** बसावट और स्रोत की पहचान के आधार पर राज्यों को एक प्रस्ताव तैयार करना होता है।

- **अनिवार्य आवश्यकताएं:**सभी मेगा स्कीमों को कार्य की सुपुर्दगी की तिथि से 36 माह के भीतर संस्थापित कर लिया जाए।

(क) सतही जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीमः

i. वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित स्कीमों के लिए राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) अनुमोदन।

ii. समयसीमा के साथ-साथ विस्तृत चरण-वार कार्यक्रम।

iii. सभी मेगा जलापूर्ति स्कीमें के जल शुद्धीकरण संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) में फिल्टर बेड वाश्ड वॉटर का पुनः चक्रण/पुनः उपयोग हो।

iv. स्कीम में ऑनलाइन बूस्टर क्लोरीकारक संयंत्र सहित पर्याप्त क्षमता/ संख्या में क्लोरीनेशन संयंत्र उपलब्ध हो ताकि उपयोगकर्त्ता तक शोधित/ शुद्ध जल पहुँच सके।

v. सभी मेगा जलापूर्ति स्कीमों में समर्पित तीन चरण वाली इलेक्ट्रिकल बिजली आपूर्ति हो।

vi. मेगा जलापूर्ति स्कीमों के सभी जल शुद्धीकरण संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) में मूलभूत स्तर की जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला अवश्य हो।

vii. स्कीम में ग्राम पंचायत/बसावट में प्रवेश से पहले बल्क जल मीटर का प्रावधान हो।

viii. आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए जारी केन्द्रीय अंशदान के समरूपी राज्य अंशदान और मार्ग में आए गैर-आर्सेनिक/गैर फ्लोराइड प्रभावित बसावटों, नगरों/ शहरों तथा उद्यमों से समरूपी संपूर्ण अंशदान के लिए राज्य की प्रतिबद्धताएं।

ix. राज्य-वार विवरण (स्कीम-वार विवरण राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएं, यूजर आईडी तथा पासबर्ड आईएमआईएस के समान है)।

- स्कीम का नामः
- आईएमआईएस के अनुसार बसावटों की कुल संख्याः
- आईएमआईएस (एफ-18) के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित बसावटों की संख्याः
- आईएमआईएस (एफ-18) के अनुसार फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्याः
- आईएमआईएस के अनुसार कुल आबादीः
- आईएमआईएस (एफ-18) के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित आबादीः
- आईएमआईएस (एफ-18) के अनुसार फ्लोराइड प्रभावित आबादीः
- परियोजना/ स्कीम की प्रति व्यक्ति लागतः
- सेवा स्तर (एलपीसीडी):

x. आईएमआईएस के अनुसार आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की पुष्टि (18 अगस्त 2016 को स्थिर किया गया फॉर्मेट एफ-18)

xi. स्रोत स्थायित्वः संबंद्ध प्राधिकरण से प्रस्ताव के साथ जल निकासी की अनुमति।

(ख) सुरक्षित भू-जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीमः

i. वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित स्कीमों के लिए राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) अनुमोदन।

ii. विस्तृत चरण-वार तथा समयबद्ध योजना

iii. आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए जारी केन्द्रीय अंशदान के समरूपी राज्य अंशदान और मार्ग में आए गैर-आर्सेनिक/गैर फ्लोराइड प्रभावित बसावटों, नगरों/ शहरों तथा उद्यमों से समरूपी संपूर्ण अंशदान के लिए राज्य की प्रतिबद्धताएं।

iv. इन बसावटों में मनरेगा, आईडब्ल्यूएमपी, आरकेवीवाई, पीएमकेएसवाई तथा राज्य की अन्य जल संरक्षण कार्यक्रमों आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल करके राज्य जल संरक्षण उपाय कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का पर्याप्त पुनर्भण्डारण हो/इसमें स्कीम के स्थायित्व पर ध्यान रखा जाएगा।

v. राज्य-वार विवरण (स्कीम-वार विवरण, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएं, यूजर आईडी तथा पासबर्ड आईएमआईएस के समान है)।

- स्कीम का नामः
- आईएमआईएस के अनुसार बसावटों की कुल संख्याः

- आईएमआईएस (एफ-18) के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित बसावटों की संख्याः
- आईएमआईएस (एफ-18) के अनुसार फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्या :
- आईएमआईएस के अनुसार कुल आबादी:
- आईएमआईएस (एफ 18) के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित आबादी :
- आईएमआईएस (एफ18) के अनुसार फ्लोराइड प्रभावित आबादी :
- परियोजना/स्कीम की प्रति व्यक्ति लागत :
- सेवा स्तर (एलपीसीडी) :

VI. आईएमआईएस (एफ-18 फॉर्मेटजो 18 अगस्त, 2016 को फ्रीज कर दिया गया) के अनुसार आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के बारे में पुष्टिकरण

VII. भूजल स्रोत :

(क) निरंतर उपलब्धता के संबंध में राज्य रीमोट सैंसिंग एप्लिकेशन सेन्टर/राष्ट्रीय रीमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) से प्रमाणीकरण

(ख) जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से जल गुणवत्ता पर जांच रिपोर्ट

(ग) हाइड्रो जियो मॉर्फोलॉजिकल मानचित्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग के बारे में सोचा जा सकता है।

(ग) शोधन प्रौद्योगिकी सहित भूजल आधारित स्कीम/सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपीएस) :

i. निधियन हेतु प्रस्तावित स्कीमों के लिए राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) का अनुमोदन
ii. विस्तृत चरणवार और समयबद्धयोजना
iii. संयंत्र की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि यह बसावटों को कम से कम 8-10 एलपीसीडी सुरक्षित पेयजल (पीने एवं रसोई प्रयोजन के लिए) मुहैया करा सके।
iv. राज्य, विशिष्ट संदूषण को दूर/कम करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता की समुचित जांच करते हुए एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए निजी डेवलपर को परियोजना का टेंडर देगा और 10 वर्ष के लिए ओएंडएम दायित्व भी निजी डेवलपर द्वारा ही पूरी की जाएगी।
v. विशिष्ट संदूषण के शोधन के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प का निर्णय राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तथापि, प्रौद्योगिकियों का आवश्यक रूप से अनुवीक्षणप्रतिष्ठित संगठनों जैसे- सीएसआईआर प्रयोगशाला, एनईईआरआई-नागपुर, सीएसएमसीआरआई-भावनगर,

बीएआरसी-मुंबई, भारतीय मानक ब्यूरो, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति, पेयजल गुणवत्ता पर काम कर रहे आईआईटी तथा अन्य राष्ट्र स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

vi. ओएंडएम लागत (बिजली प्रभार,केयर टेकिंग, मेम्ब्रेन बदलने आदि) को पूरा करने के लिए निजी डेवलपर को वर्ष 1 से 3 के लिए 10 पैसे प्रति लिटर, चौथे से छठे वर्ष के लिए 20 पैसे प्रति लिटर और 7-10 वर्ष के लिए 30 पैसे प्रति लिटर प्रभार लेने की अनुमति होगी । वह प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत को पूरा करने के लिए इस जमा राशि को अपने पास रख सकता है।

vii. राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जल प्रभार के भुगतान की इच्छुक ग्राम पंचायतें उन संयंत्रों का स्वामित्व लेंगी।

viii. नियुक्त/चयनित ठेकेदार ट्रायल रन अवधि सहित प्रचालन के पहले दिन से ही ओएंडएम कार्य आरंभ कर देगा और 10 वर्षों तक जारी रहेगा।

ix. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार कहीं भाग न जाए और यह कि संयंत्र ट्रायल रन अवधि सहित निर्धारित 10 वर्षों की ओएंडएम अवधि में संतोषजनक ढंग से काम करे, ठेकेदार द्वारा 100 प्रतिशत पूँजीगत लागत के लिए 2 वर्षों की अवधि के लिए वैध बैंक गारण्टी दी जाएगी।

x. अति दोहित ब्लॉकों में राज्य भूजलबोर्ड/एजेन्सी से जल उपलब्धता के बारे में राय अवश्य प्राप्त की जाए।

xi. राज्य इन बसावटों में अन्य कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, आईडब्ल्यूएमपी, आरकेवीवाई, पीएमकेएसवाई और अन्य राज्य जल संरक्षण कार्यक्रमों आदि के साथ विलय से जल संरक्षण उपाय करें और भूजल का पर्याप्त रूप से पुनर्भरण सुनिश्चित करे। इससे स्कीम की निरंतरता बनी रहेगी।

xii. वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार ने आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपीएस) की संस्थापना के लिए 800 करोड़ रु. जारी किए हैं। अत: राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन के अंतर्गत सीडब्ल्यूपीपीएस का प्रस्ताव करते समय बसावटों का कोई दोहरापन नहीं होगा। यदि किसी भी मामले में, किसी बसावट को एक अथवा अधिक सीडब्ल्यूपीपीएस दिया जाता है तो उस बाबत उपयुक्त औचित्य का उल्लेख करना होगा।

➢ **एडवाइजरीः**

क . प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत को न्यूनतम करने और बिजली बचाने के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो सौर ऊर्जा/ सोलर पैनल/ सौर रोशनी जैसे पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ख. रीयल टाइम मॉनीटरिंग के लिए सभी मेगा स्कीमों में सुपवाइजरी कंट्रोल तथा डाटा एक्यूजीशन (एससीएडीए) की उपयोगिता को तलाशा जाए।

ग. स्कीम में पर्याप्त संख्या में फ्लो मीटर लगाने की सलाह दी जाती है।

घ. यह उचित है कि ऐसी स्कीमें तैयार की जाएं ताकि इनसे न्यूनतम ऊर्जा खपत हो।

ड. सलाह दी जाती है कि भविष्य में आवश्यक विस्तार का प्रावधान हो।

च. सलाह दी जाती है कि एक उपयुक्त वॉटर टेरिफ प्लान लाया जाएयदि पहले से यह मौजूद न हो।

6 . पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को प्रस्ताव भेजना :

(क) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन पोर्टल पर स्कीमवार ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए, यूजर आईडी और पासवर्ड आईएमआईएस जैसे ही होंगे।

(ख) स्कीम प्रस्ताव, उपर्युक्त जी-5 के अनुसार अपेक्षित सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ज. शीर्ष समितिः

राज्यों को राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी होती है ताकि इसे शीर्ष समिति से अनुमोदित कराया जा सके।

शीर्ष समिति सदस्य का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

क्र.सं.	**समिति**	
1.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय।	अध्यक्ष
2.	वित्तीय सलाहकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य
4.	नीति आयोग प्रतिनिधि	सदस्य
5.	व्यय विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य
6.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य

7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य
9.	उप सलाहकार (डब्ल्यूक्यू),पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	संयोजक

झ. अनुवीक्षण एवं निगरानीः

➢ **राज्यों में संस्थागत व्यवस्था**

मिशन मोड में कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए प्रत्येक राज्य चीफ इंजीनियर स्तर पर एक 'राज्य उप मिशन समन्वयक' नियुक्त करेगा जो निम्नलिखित के लिए जवाबदेह होगा :

- राज्य स्तरीय कार्यक्रम की योजना, तैयारी और निधि प्रबंधन।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का यथासमय कार्यान्वयन।
- निरंतर मॉनीटरिंग, निगरानी, यथासमय डाटा संग्रहण,ऑनलाइन प्रणाली पर अद्यतनीकरण और विश्लेषण सुनिश्चित करना ।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम की तकनीकी, वित्तीय और समग्र निरंतरता सुनिश्चित करना।

➢ **केंद्रीय स्तर पर संस्थागत व्यवस्था**

केंद्र में मिशन मोड में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 'राष्ट्रीय उप मिशन समन्वयक' / परियोजना निदेशक के रूप में 'उप सलाहकार- जल-गुणवत्ता' नियुक्त करेगा जो निम्नलिखित के लिए जवाबदेह होगा।

- राज्यों के साथ यथासमय समन्वयन ।
- कार्यक्रम का यथासमय कार्यान्वयन।
- केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम की निरन्तर मॉनीटरिंग, निगरानी, आकंड़ा एकत्रण तथा विश्लेषण।
- राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का तकनीकी, वितीय तथा समग्र स्थायित्व सुनिश्चित करना।

1. उपसलाहकार (डब्ल्यूक्यू) राष्ट्रीय कार्यक्रम मॉनीटरिंग यूनिट (एनपीएमयू) की अध्यक्षता करेंगे जिसमें दो सहायक सलाहकार सहायता करेंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का तकनीकी सत्यापन/जाँच के लिए अतिरिक्त सलाहकार और मंत्रालय के अन्य तकनीकी कंसक्टेट्स की सहायता एनपीएमयू द्वारा की जाएगी।

एनपीएमयू की अध्यक्षता राष्ट्रीय उप-मिशन समन्वयक/ परियोजना निदेशक द्वारा की जाएगी जो एमओडीडब्ल्यूएस के संयुक्त सचिव/सचिव को रिपोर्ट करेंगे।

2. राज्यों को वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर नियमित रूप से रिपोर्ट भेजनी होती है।
3. राज्यों को स्रोत बिन्दु और सुपुर्दगी बिन्दु के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) कोओर्डिनेट्स इस मंत्रालय की आईएमआईएस पर रिपोर्ट करनी होती है।
4. राज्यों को एमआरडब्ल्यूएस मोबाइल ऐप पर नियमित रूप से फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है।
5. इस कार्यक्रम की जिला स्तर पर मॉनीटरिंग संसद सदस्य (एम.पी) की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल में गठित जिला विकास समन्वय एवं मॉनीटरिंग समिति (दिशा) द्वारा की जाएगी।
6. सभी स्कीमों को माइल स्टोन संबद्ध निधियन प्राप्त होगा।
7. सभी स्कीमों में जीयोटैगिंग सुविधा होगी।

ञ. कार्यान्वयन की कार्य प्रणालीः

➢ **प्रोसेस फ्लोः**

1. सभी राज्य,राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन के अंतर्गत निधियन हेतु राष्ट्रीय जल गुणवत्ता पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्मेट में परियोजना प्रस्ताव भरेंगे।
2. उपमिशन के दिशा-निर्देशों और अनुमोदन ढांचे के अनुसार, स्कीम से जुड़ी सभी सूचनाएं और सहायक दस्तावेज,समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

➢ **प्रोजेक्ट प्लानिंगः**

(क) सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीम और सुरक्षित भूजल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीम:

i. तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सर्वाधिक व्यवहार्य और लागत प्रभावी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए राज्य सरकार का इंजीनियर-इन-चीफ/ चीफ इंजीनियर ही सतही तथा सुरक्षित भूजल आधारित स्कीमों के लिए उत्तरदायी होगा।

ii. डीपीआर तैयार करते समय इंजीनियर इन चीफ/चीफ इंजीनियर यह सुनिश्चित करेगा कि जमीन स्तरीय इंजीनियर जिला प्रशासन और जिला पंचायत की सहायता से सभी संबंधितोंका सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त कर लें।

iii. डीपीआर तैयार करने के बाद इसे राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति(एसएलएसएससी) के समक्ष रखने से पहले राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा इसका तकनीकी पुनरीक्षण किया जाएगा।

iv. राज्यों को राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति(एसएलएसएससी)द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी होती है ताकि शीर्ष समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जा सके।

(ख) शोधन प्रौद्योगिकी सहित भूजल आधारित स्कीम/सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपीएस) :

i. असुरक्षित भूजल का शोधन करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने के लिए इंजीनियर इन चीफ/चीफ इंजीनियर ही उत्तरदायी होगा।

ii. राज्यों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी होती है ताकि शीर्ष समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जा सके।

ट. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति:

तकनीकी स्वीकृति, राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। तकनीकी मंजूरी के आधार पर एसएलएसएससी द्वारा प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की जाएगी। राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीयस्वीकृति प्रदान की जाएगीऔर शीर्ष समिति में प्रस्ताव का मूल्यांकन प्राप्त करना होगा।

ठ. निधियन पैटर्न:

किसी भी राज्य को केंद्रीय सहायता की अधिकतम राशि 4500 करोड़ रु. होगी। लाभार्थी राज्य को मंत्रालय से उपलब्ध निधियों का दावा प्रस्तुत करने के लिए मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप 15 जुलाई, 2017 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। उसके बाद राज्यों को निधियां 'पहले आएं पहले पाएं' के आधार पर उपलब्ध होंगी।

मंत्रालय की आईएमआईएस परराज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार (एफ-18-दिनांक 18 अगस्त, 2016 को स्थिर किए गए आंकड़े) आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित 28000 बसावटें इस परियोजना (चालू तथा नई स्कीमें) के अंतर्गत विचाराधीन होंगी।

(क) सतही जल/भूजल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमें :-

केंद्र और राज्य के बीच निधियों का बंटवारा पूर्वोत्तर/ हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में होगा। ये निधियाँ केवल आर्सेनिक एवं

फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्यों को आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए केन्द्रीय शेयर की रिलीज के अनुरूप राज्य मैचिंग शेयर और रूट में आने वाली गैर-आर्सेनिक/ गैर-फ्लोराइड प्रभावित बसावटों, शहरों/नगर और उद्योगों के अनुरूप संपूर्ण शेयर प्रदान करना होगा।

(ख) शोधन प्रौद्योगिकी सहित भूजल आधारित स्कीम/सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपीएस) :

पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्य के बीच निधि शेयरिंग पैटर्न 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 50:50 होगा।

ड. अनुदानों की प्रस्तावित रिलीज:

शीर्ष समिति के अनुमोदन के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राज्यों को अनुदान जारी किए जाएंगे। किस्तों की संख्या का निर्णय शीर्ष समिति करेगी। दूसरी और बाद की किस्तें, उनके कार्य-निष्पादन तथा मंत्रालय को सौंपे गए अपेक्षित वास्तविक और वित्तीय दस्तावेज पर आधारित होंगी।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन के अंतर्गत कुल पात्र निधियन पर फार्मूला, आईएमआईएस में यथा प्रविष्ट वर्तमान आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित आबादीX1.3Xशीर्ष समिति द्वारा यथा निर्णित प्रति व्यक्ति लागत के अनुसार होगा। केंद्र और राज्य के बीच शेयरिंग पैटर्न पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 50:50 का होगा।

*डिजाइन अवधि 30 वर्ष में आबादी में वृद्धि के लिए कारक 1.3 पर विचार किया जाता है।

सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के मामले में, प्रत्येक वर्ष तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी।

ढ. आवर्ती व्यय:

1. यह उचित है कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में प्रचालन एवं अनुरक्षण आरंभ करने के लिए 14वें वित्तीय आयोग की निधियों का उपयोग करेगा।
2. यह संबंधित राज्य सरकार का यह समग्र दायित्व है कि वह आवर्ती व्यय का वहन करे।
3. यह ग्राम पंचातय का दायित्व है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) का स्वामित्व लेकर इसे आरंभ करें, जबकि जल शोधन

संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी)सहित सभी शीर्ष कार्यों का ओएंडएम दायित्व ग्रामीण जल आपूर्ति का काम देखने वाले राज्य विभाग/उपक्रमके पास होगा।

4. सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के मामले में, नियुक्त/चयनित ठेकेदार, ट्रायल रन अवधि सहित प्रचालन की तारीख के पहले दिन से ही ओएंडएम कार्यकलाप आरंभ कर देगा और इसे 10 वर्षों तक जारी रखा जाएगा। ओएंडएम अवधि के बाद, ग्राम पंचायत संयंत्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) का कार्य अपने हाथ में लेगी और आरंभ करेगी।

ण. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) कार्यकलाप:

1. आर्सेनिक एवं फ्लोराइड पर विस्तृत जागरूकता अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए।

2. स्कीम कार्यान्वयन इंजीनियरों को प्रौद्योगिकी/प्रशिक्षण/प्रविधि और क्रियाविधि समझाने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में आवधिक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

इस कार्यक्रम के द्वारा राज्यों और सामुदायिक संगठनों को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के साथ-साथ पोटेबिलिटी, पर्याप्तता, सुविधा, सामर्थ्य और समता के रुप में स्थाई आधार पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।